UPLK010107792024

न्यायालय विशेष न्यायाधीश, एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट, लखनऊ ।

सत्र वाद सं0 2470/2024

सरकार **बनाम** विजय शंकर जौहरी आदि

अ0सं0 111/2022
धारा–323,354डी,504,506 भा0द0सं0 एवं
धारा–3(2)5ए, एस0सी0/एस0टी0 ऐक्ट एवं
धारा–66सी आई0टी0 ऐक्ट
थाना–कृष्णानगर, लखनऊ।

12–09–2025

मुकदमा पुकारा गया। अभियुक्तगण विजय शंकर जौहरी व ऋचा जौहरी मय अधिवक्ता न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हैं।

न्यायालय के समक्ष विशेष लोक अभियोजक ने संक्षेप में उस साक्ष्य का कथन किया, जो दौरान विचारण अभियुक्तगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया जाना है।

अभियोजन एवं अभियुक्तगण के अधिवक्ता को सुनने तथा पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री के अवलोकन किया। पत्रावली में केस डायरी के पर्चा नं0 4 में पीड़िता के पति अरविन्द कुमार वर्मा ने अभियुक्ता ऋचा जौहरी के द्वारा मात्र उसकी पत्नी से गाली गलौज करने का कथन किया है। स्वयं वादिनी/पीड़िता ने अपने बयान अंतर्गत धारा 164 दं0प्र0सं0 में यह कहा है कि जब अभियुक्त विजय शंकर जौहरी बखेड़ा करने लगे तो विजय की पत्नी और कार्यालय सहायक श्याम बाबू को फोन करके बुलाया। इस प्रकार ऐसा प्रतीत होता है कि मामले को शांत करने के लिए वादिनी ने अभियुक्ता ऋचा जौहरी को स्वयं बुलाया था। सामान्यतः यह माना जाता है कि आफिस में काम करने वाले सभी व्यक्ति किस–किस जाति के साथ काम करते है, इसकी जानकारी काम करने वाले व्यक्ति की पत्नी को नहीं हो सकती है। अतः ऋचा जौहरी पर एस0सी0/एस0टी0 ऐक्ट लागू नहीं होता है। उसके विरूद्ध मात्र धारा 504 भा0दं0सं0 का आरोप विरचित किया जाना उचित होगा।

जैसा कि धारा 66सी आई0टी0 ऐक्ट में प्रावधान है कि *''जो कोई किसी अन्य व्यक्ति के इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर, पासवर्ड या किसी अन्य विशिष्ट पहचान विशेषता का धोखाधड़ी से या बेईमानी से उपयोग करता है, उसे तीन सालतक की कैद और/या एक लाख रूपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।''*

अभियुक्तगण पर वादिनी के इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर, पासवर्ड या किसी अन्य विशिष्ट पहचान विशेषता का धोखाधड़ी का कोई आरोप नहीं है। अतः इस मामले में धारा 66सी आई0टी0 ऐक्ट लागू नहीं होता है।

अतः मैं इस मत का हूँ कि अभियुक्त विजय शंकर जौरी के विरुद्ध धारा 323, 354डी, 504, 506 भा0द0सं0 एवं धारा–3(2)5ए, एस0सी0/एस0टी0 ऐक्ट एवं अभियुक्ता ऋचा जौहरी के विरूद्ध धारा 504 भा0दं0सं0 के अधीन आरोप विरचित किये जाने के आधार पर्याप्त हैं। तद्नुसार अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोप विरचित किये गये। अभियुक्तगण ने आरोपों से इन्कार किया और विचारण की याचना की।

पत्रावली तदैव साक्ष्य अभियोजन हेतु दिनांक 14.12.2025 को पेश हो।

विशेष न्यायाधीश (एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट),
लखनऊ।

UPLK010107792024

न्यायालय विशेष न्यायाधीश, एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट, लखनऊ ।

सत्र वाद सं0 2470/2024

सरकार **बनाम** विजय शंकर जौहरी आदि

अ0सं0 111/2022
धारा–323,354डी,504,506 भा0द0सं0 एवं
धारा–3(2)5ए, एस0सी0/एस0टी0 ऐक्ट एवं
थना–कृष्णानगर, लखनऊ।

आरोप

मैं, विवेकानन्द शरण त्रिपाठी, विशेष न्यायाधीश (एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट), लखनऊ एतद्द्वारा आप अभियुक्त विजय शंकर जौरी को निम्नलिखित आरोपों से आरोपित करता हूॅः–

प्रथमः यह कि दिनांक 19.09.2021 व समय अदम तहरीर थाना कृष्णानगर, जिला लखनऊ सीमान्तर्गत इन्द्रलोक कालोनी में आप अभियुक्त विजय शंकर जौहरी द्वारा वादिनी मुकदमा रोशनी गौतम व उसके पति अरविन्द को मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित किया, जो भा0द0सं0 की धारा–323 के अधीन दण्डनीय है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

द्वितीयःयह कि उपरोक्त तिथि, समय व स्थान पर आप अभियुक्त विजय शंकर जौहरी द्वारा वादिनी मुकदमा रोशनी गौतम का पीछा किया एवं मोबाइल नंबर बदल–बदल कर वादिनी की इच्छा के विरूद्ध उससे सम्पर्क करने का प्रयत्न किया, जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 354डी के अधीन दण्डनीय है और मेरे प्रसंज्ञान में है।

तृतीयः यह कि उपरोक्त दिनांक, समय एवं स्थान पर आप अभियुक्त विजय शंकर जौहरी द्वारा वादिनी मुकदमा रोशनी गौतम को भद्दी–भद्दी गालियां देकर साशय प्रकोपित किया कि वह लोकशान्ति भंग करें। इस प्रकार आपने एक ऐसा अपराध किया, जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 504 के अधीन दण्डनीय है और मेरे प्रसंज्ञान में है।

चतुर्थःयह कि उपरोक्त तिथि, समय व स्थान पर आप अभियुक्त विजय शंकर जौहरी द्वारा वादिनी मुकदमा रोशनी गौतम व उसके पति अरविन्द को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया। इस प्रकार आप लोगों ने एक ऐसा अपराध किया, जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 506 के अधीन दण्डनीय है और मेरे प्रसंज्ञान में है।

पंचमःयह कि उपरोक्त तिथि, समय व स्थान पर आप अभियुक्त विजय शंकर जौहरी द्वारा अनुसूचित जाति की वादिनी मुकदमा रोशनी गौतम के प्रति उपरोक्त आपराधिक कृत्य कारित किया। इस प्रकार आप ने एक ऐसा अपराध किया, जो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम धारा–3(2)va के अधीन दण्डनीय है और मेरे प्रसंज्ञान में है।

एतद्द्वारा आप को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त आरोप हेतु आप लोगों का विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

(विवेकानन्द शरण त्रिपाठी)
दिनांकः 12–09–2025 विशेष न्यायाधीश एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट,
लखनऊ।
जे0ओ0 कोड यू0पी0 6127

अभियुक्त को आरोप पढ़कर सुनाया व समझाया गया जिससे अभियुक्त ने इन्कार किया तथा विचारण की याचना की।

(विवेकानन्द शरण त्रिपाठी)
दिनांकः 12–09–2025 विशेष न्यायाधीश एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट,
लखनऊ।
जे0ओ0 कोड यू0पी0 6127

UPLK010107792024

न्यायालय विशेष न्यायाधीश, एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट, लखनऊ ।

सत्र वाद सं0 2470 / 2024

सरकार **बनाम** विजय शंकर जौहरी आदि

अ0सं0 111 / 2022
धारा–504 भा0द0सं0
थना–कृष्णानगर, लखनऊ।

आरोप

मैं, विवेकानन्द शरण त्रिपाठी, विशेष न्यायाधीश (एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट), लखनऊ एतद्द्वारा आप अभियुक्त ऋचा जौहरी को निम्नलिखित आरोपों से आरोपित करता हूॅः–

प्रथमः यह कि दिनांक 19.09.2021 व समय अदम तहरीर थाना कृष्णानगर, जिला लखनऊ सीमान्तर्गत इन्द्रलोक कालोनी में आप अभियुक्ता ऋचा जौहरी द्वारा अन्य सहअभियुक्त के साथ मिलकर वादिनी मुकदमा रोशनी गौतम व उसके पति अरविन्द को भद्दी–भद्दी गालियां देकर साशय प्रकोपित किया कि वह लोकशान्ति भंग करें। इस प्रकार आपने एक ऐसा अपराध किया, जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 504 के अधीन दण्डनीय है और मेरे प्रसंज्ञान में है।

एतद्द्वारा आप को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त आरोप हेतु आप लोगों का विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

(विवेकानन्द शरण त्रिपाठी)
दिनांकः 12–09–2025 विशेष न्यायाधीश एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट,
लखनऊ।
जे0ओ0 कोड यू0पी0 6127

अभियुक्त को आरोप पढ़कर सुनाया व समझाया गया जिससे अभियुक्त ने इन्कार किया तथा विचारण की याचना की।

(विवेकानन्द शरण त्रिपाठी)
दिनांकः 12–09–2025 विशेष न्यायाधीश एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट,
लखनऊ।
जे0ओ0 कोड यू0पी0 6127